राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान--सरकार

क्मांक: प. 9(23)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 28 · 11 · 2014

-: अधिसूचना :-

कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरों / ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना तहसील बामनवास / मलारना डूंगर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला सवाई माधोपुर की जाकर अभिलेखित किया ज़ाबेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा :-राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16,

	-			-		
,	2			_		, A. H
/मलारना ड्रार	सवाई माधोपुर	/ बामनवास	सवाई माघोपुर	2		जिला/ तहसील
	सांकडा		डाबर	3	**	मूल राजस्व ग्राम का
1	1983		2391	4	जन संख्या	मूल राजस्व की जनसंख्या/द (हैक्टेयर
	1100.42	\	476.34	Ch	क्षेत्रफल	त राजस्व ग्राम की संख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	1100.42 हरिरामपुरा	कलां	ताजपुरा	6		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम
1	410	(400	7	संख्या	प्र <u>फ</u> ्तावि राजस्व जनसंख्या हिंदरे
	247.49		177.43		क्षेत्रफल	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की ननसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
	4.0		3.0	9		म में
(852.93		298.91	10		मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

अभिलेखों के अलग—अलग संघारण हेतु उक्त अधिनियम की घारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व निषादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, संवाई नाधोपुर को अधिकृत किया जाकर कार्य ग्रामों / नवीन राजस्य ग्रामों की पृथक-पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के

Coppusa Kalan

Harirampura

आज्ञा से,

संयुक्त श्राम्न सिचव (दिनेश

कृ०प०उ०.....

Received form Secretary